	<u>मोटर दावा अधिकरण–सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश–XI वैशाली, हाजीपुर</u> दावा वाद संख्या–30/2007 संजु देवी और अन्य बनाम राजबल्लम सिंह एवं अन्य	
19.04.22	**आदेश** दावाकर्तागण की ओर से इस मामले में पैरवी है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20/06/2019 को विद्वान अधिवक्ता विपिन कुमार सिंह एक आवेदन दाखिल कर आवेदन के माध्यम से यह अभिकथित किया हे कि प्रस्तुत वाद में विपक्षी संख्या 01 राजबल्लम सिंह वाहन स्वामी की ओर से उपस्थित कराया गया है तथा मुझसे आजतक विपक्षी संख्या 01 राजबल्लम सिंह की कभी मुलाकात नहीं हुई न तो मै राजबल्लम सिंह को जानता हूॅ और न ही उसे पहचानता हूॅ परंतु प्रस्तुत वाद के आवेदिका के अधिवक्ता अवनीश कुमार ने आवेदिका को लाभ पहूॅचाने तथा न्यायालय और विपक्षी को धोखा देने के आशय से फर्जी उत्तर–पत्र न्यायालय में दाखिल किया है और आगे यह अभिकथित किये है कि वकालतनामा और उत्तर–पत्र दिनांक 17/06/2008 पर विपक्षी राजबल्लम सिंह मेरे सामने हस्ताक्षर नहीं किया था। अतः न्यायहित में इस फर्जीवाड़ा की जॉच आवश्यक है तथा तद्नुसार अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार पर समूचित कार्रवाई करने की कृपा की जाये। पुनः आवेदन दिनांक 13/08/2019 के माध्यम से विपक्षी संख्या 02 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने भी उचित कानूनी कार्रवाई करने की प्रार्थना की है जबकि अपने आवेदन दिनांक 08/10/2021 के माध्यम से श्री अवनीश कुमार ने सारे आरोपो को निराधार बताया है। जबकि विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–षष्ठम् वैशाली हाजीपुर के कार्यालय लिपिक ने अपने पत्रांक 59 दिनांक 06/04/2022 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि उनके न्यायालय में प्रस्तुत मामले से संबंधित कोई विविध वाद की संचिका नहीं खोली गई है। अतः आवेदक सह विद्वान श्री विपिन कुमार सिंह के द्वारा दावाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार के उपर लगाये गये आरोप तथा विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा कुछ सीमा तक उपरोक्त आरोपों को समर्थित किये जाने के आलोक में प्रस्तुत मामले कि गहन जॉच की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः ऐसी परिस्थिती में कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अविलंब विविध वाद खोलें तथा विपिन कुमार की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20/06/2019 एवं श्री विपिन कुमार सिंह का शपथ पत्र दिनांक 20/06/2019, विपक्षी संख्या 02 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13/08/2019, श्री अवनीश कुमार की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 08/10/2021, विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–षष्ठम् वैशाली हाजीपुर के कार्यालय लिपिक के द्वारा इस न्यायालय को भेजे गये पत्रांक 59 दिनांक 06/04/2022 का छायाप्रति मूल अभिलेख के साथ रखते हुए उपरोक्त मूल दस्वावेजो को तथा प्रस्तुत दावा वाद में विपक्षी राजबल्लम सिंह से संबंधित उत्तर–पत्र की छायाप्रति विविध वाद के साथ संलग्न करें। वाद दिनांक 27/04/2022 वास्ते वाद बिन्दु पर सुनवाई हेतू। मो0 दावा0 अधि0 सह अ0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश–XI वैशाली, हाजीपुर **<u>This is Webpage not Official</u>**	